राजस्व अपील संख्या 182/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/434

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 182/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/434

अपीलार्थीगणः–

1. परमेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री कल्याणसिंह, उम्र– 51 वर्ष,
2. श्रीमती मधु पत्नि श्री परमेन्द्र सिंह, उम्र– 43 वर्ष,
   दोनो जाति–माली, निवासीगण– खोखरिया बेरा मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रत्यर्थीगण–

1. श्रीमती भानुका उर्फ भानु पत्नि विरेन्द्रसिंह परिहार पुत्री स्व. श्री कल्याणसिंह, जाति–माली, निवासी– जूनी बागर महामंदिर, जोधपुर।
2. श्रीमती अनिता पत्नि श्री रविन्द्रसिंह देवड़ा पुत्री स्व. श्री कल्याणसिंह, जाति–माली, निवासी– मकान नं. 210 पावटा सी रोड लक्ष्मी नगर जोधपुर।
3. श्रीमती निर्मला उर्फ नीमा पत्नि श्री धमेन्द्रसिंह भाटी, पुत्री स्व. श्री कल्याणसिंह, जाति–माली, निवासी भाटियों का बास, भाटी चौराहा, मगरा पून्जला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2022 जो राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 16/2022 में अनवान श्रीमती भानुका उर्फ भानू वगैरा बनाम सरकार में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा मण्डोर द्वितीय के भूमि ख.नं. 609/1/1 के भूखण्ड सं. 2, 3 व 4 को प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया।

– : : आदेश : : – दिनांक : 19/1/26

उपस्थिति :–

1. श्री लाधुराम पूनिया अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2. प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित

अपीलार्थीगण की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 17.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रत्यर्थीगण

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

संख्या 01 से 03 ने एक प्रार्थना–पत्र फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए दिनांक 31.01.2022 को यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा नम्बर 609/1/1 में प्राथीगण के वसीयत से प्राप्त कृषि भूखण्ड सं. 2, 3 व 4 आये हुए है उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण को उनके पिता कल्याणसिंह पुत्र जयनारायण गहलोत ने अलग–अलग वसीयत करके वसीयत को नोटेरी पब्लिक श्री बी.डी. पुरोहित एडवोकेट जोधपुर से दिनांक 04.10.2010 को तस्दीक करवाकर दिये है प्रार्थीगण के पिता कल्याणसिंह का देहांत दिनांक 17.11.2020 को हो गया है जिसका नामान्तरकरण हमारे नाम पारित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार जोधपुर ने उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 31.01.2022 को मूल पटवारी हल्का मण्डोर द्वितीय को भेजकर उसके सलंग्न वसीयत की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश किया तथा वसीयत में वर्णित भूमि स्वअर्जित है या पैतृक के बारे में भी रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया, उसके बाद दिनांक 08.03.2022 को पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि खसरा नम्बर 609/1/1 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार कल्याणसिंह पुत्र जयनारायण के स्थान पर परमेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह के नाम का नामान्तरकरण संख्या 2186 दिनांक 16.04.2021 जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा आदेश द्वारा दर्ज किया गया है। इसके बाद तहसीलदार ने दिनांक 03.08.2022 को नोटिस जारी कर अपीलार्थी सं. 1 जो मृतक खातेदार कल्याणसिंह का जायंदा पुत्र है जिसको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस इस कार्यवाही का नहीं दिया एवं उसको जवाब, सुनवाई साक्ष्य का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा बाले बाले कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17.10.2022 द्वारा खसरा नं. 609/1/ के भूखण्ड सं. 2, 3 व 4 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथीत होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गयी है।

तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश देने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय व अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वसीयतनामा को कानूनी तरीके से सक्षम सिविल न्यायालय से साबित करवाये बिना वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता है। भू.अ.नियम 1957 के नियम 132 में अपंजीकृत वसीयतनामे की जांच करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करके आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धांतो के विरूद्ध हैं विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

है कि मृतक की वास्तविक एवं अंतिम वसीयत होने की घोषणा नहीं करवा ली जाती तब तक ऐसी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करना विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पूर्णतया एकतरफा तैयार करके प्रस्तुत की है। अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई को शुमार करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

अन्त में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं जिसके परिणामस्वरूप दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 5531 दिनांक 12.09.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें। अन्य उचित आदेश हो अता पारित फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगणों को नोटिस जारी किये गये प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 ने नोटिस लेने से इनकार करने पर तामिल कुनन्दा द्वारा आबाद मकान पर चस्पानगी की जाकर नोटिस न्यायालय में भिजवाये गये। नोटिस तामिली पूर्ण मानते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अनुपस्थिति दर्ज की गई।

प्रत्यर्थी सं. 04 तहसीलदार जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय मूल रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अपीलार्थीगण विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा सुनी गयी। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5531 दिनांक 12.09.2024 को खारिज किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

हमने प्रस्तुत अपील, जवाब, राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात् एवं अपीलार्थीगण विद्वान अधिवक्ता की गयी से की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को एवं मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अपील में अपीलार्थीगण ने तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.10.2022 को अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया था जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 5531 दिनांक 12.09.2024 को दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम अमल दरामद किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के निर्णय का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त वसीयतनामा हेतु नामान्तरकरण दर्ज करने के प्रार्थना–पत्र पर खातेदार कल्याणसिंह पुत्र जयनारायण के समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था लेकिन

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 5531 दर्ज करने हेतु जो आदेश पारित किया गया है उसमें भारी कानूनी भूल की है। उक्त आदेश पारित किया गया है व विधि अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विरूद्ध जारी किया गया है। ऐसी अवस्था में अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के जो कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 17.10.2022 के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 5531 दिनांक 12.09.2024 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में मृतक खातेदारान् कल्याणसिंह पुत्र जयनारायण के समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे। मूल रिकॉर्ड पुनः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को लौटाया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 19/1/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वितीय)
जोधपुर